न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी, जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **04/2019 (RCMS 2019/00008)**

प्रार्थी

1. बंशीलाल पुत्र जयदेव दमामी निवासी बरवाला की मृत्यु के बाद विधिक प्रतिनिधि निरंजन पुत्र स्वर्गीय बंशीलाल जाति ढ़ोली पेशा सीमा सुरक्षा बल में कॉन्सटेबल सैनिक निवासी बरवाला हाल रूपपुरा तहसील कुचामनसिटी जरिये मुख्तयार जोगेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तहसीलदार कुचामनसिटी
2. परबुराम पुत्र मांगुराम
3. पुसाराम पुत्र मांगुराम
4. भंवरलाल पुत्र बोदुराम
5. रामपाल पुत्र बोदुराम
6. चेनाराम पुत्र बोदुराम
7. श्रवणराम पुत्र बोदुराम
8. गंगादेवी बैवा बोदुराम
9. जेठाराम पुत्र छगनाराम अप्रार्थी सं. 2 से 9 की जाति जाट निवासी कुचामनसिटी
10. भंवरलाल पुत्र जैसाराम जाति गुर्जर निवासी कुचामन
11. भागूराम पुत्र जैसाराम के कायम मुकामात :–
    11/1– इन्द्रादेवी पत्नि भागूराम 50 साल
    11/2– जीवणराम पुत्र भागूराम 18 साल
12. सुगनी देवी बैवा जेसाराम
13. रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम
14. देवीलाल पुत्र चन्द्राराम
15. पुसाराम पुत्र चन्द्राराम
16. पुखाराम पुत्र चन्द्राराम
17. कानीदेवी बेवा चन्द्राराम
18. ईश्वरराम पुत्र दलाराम
19. नानूराम पुत्र दल्लाराम जाति सभी जाट निवासी कुचामनसिटी
20. पूर्णसिंह पुत्र मोतीराज जाति जाट सा. भुवाला तहसील सीकर जिला सीकर
21. बबिता पत्नि सुलतानसिंह जाति जाट सा. कल्याणपुरा तह. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
22. सुलतानसिंह पुत्र रामरतन जाति जाट सा. कल्याणपुरा तह.लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
23. सुशीलादेवी पत्नि पूर्णसिंह जाति जाट सा. भुवाला तहसील सीकर जिला सीकर

प्रार्थना–पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधि[illegible]गौर की अपील संख्या 153/2006 निरजन व अन्य बनाम तह[illegible] में दिनॉक 14.03.2007 को पारित निर्णय व डिक्री के तहत रा[illegible] 305/ [illegible] फैसला 09.12.76 बउनवान मांगुराम बनाम बंशीलाल में सहायक कलेक्टर परबतस के निर्णय को [illegible] करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बाद चालू राजस्व अभिलेख में प्रत्यास्थापन कार्यवाही के लिए धारा 144 व 151 सी.पी. सी. के तहत आवेदन पत्र

उपस्थित – श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी 3, 9, 13 की ओर से।
श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 20 से 23 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 25/10/2023

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी प्रार्थी राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनॉक 14.03.2007 के तहत प्रत्यास्थापना के लिए आवेदन कर कथन किया है कि प्रार्थी प्रतिवादी सीमा सुरक्षा बल में सिपाई है और अपनी सैन्य सेवाओं की वजह से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बढेरो से प्राप्त कृषि आराजी के खातेदारी अधिकारो व कब्जे की सुरक्षा के लिए कानूनी चाराजोही नही करने की वजह से अपने विश्वासी मित्र मुख्त्यार श्री जोगेन्द्रसिंह के माध्यम से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ग्राम रूपपुरा तहसील नावां जिला नागौर के साबिक खसरा नम्बर 116 हाल आराजी खसरा नम्बर 306, 307, 311 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भूमि प्रार्थी प्रतिवादी के बढेरो के नाम से विधि प्रभाव से कब्जे व खातेदारी अधिकारो में प्राप्त होने के बाद उक्त साबिक खसरा नम्बर 116 की आराजी सम्वत 2025 से लगायत 2049 तक प्रार्थी प्रतिवादी बंशीलाल पुत्र जयदेव दमामी सा. देह के खातेदारी अधिकार में दर्ज थी, सम्वत 2025–2028 की जमाबंदी एवं नामान्तरकरण संख्या 66 दिनॉक 10.12.1970 की प्रविष्टि की छाया प्रति प्रस्तुत की है, उक्त ग्राम रूपपुरा के गत खसरा नम्बर 116 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 से लगायत 19 के पूर्वज निर्णय के दिन अप्रार्थीगण वादीगण के पूर्वज मांगूराम पुत्र हुक्माराम जाट, छगनाराम पुत्र शिवराम गुर्जर चन्द्राराम पुत्र गंगाराम गुर्जर जैसाराम पुत्र बींजाराम गुर्जर कुचामनसिटी ने प्रार्थी प्रतिवादी बंशीलाल के विरूद्व राजस्व वाद इस्तकरार व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सहायक जिलाधीश परबतसर के न्यायालय में वाद संख्या 305/76 में दिनॉक 09.12.76 को एकतरफा निर्णय के आधार पर पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 165 दिनॉक 31.08.80 के माध्यम से राजस्व रेकर्ड फेर बदल करवाकर मांगुलाल पुत्र हुक्मा जाट 1/6 हिस्सा, छगनलाल पुत्र शिवबक्ष जाट 1/6, चन्द्रा पुत्र गंगाराम गुर्जर 1/6, जैसाराम पुत्र बींजाराम गुर्जर 1/6 हिस्सा अपने नाम इन्द्राज करवा लिया और उक्त निर्णय की पालना के आधार पर वादी जसाराम के वारिसान अप्रार्थी भंवरलाल भागुराम व गुनीदेवी ने अपना हिस्सा ईश्वरराम व नानुराम को विक्रय कर दिया एवं उक्त विक्रय (the sale was in Consequence of the error in the revers decree) के तहत नामान्तरकरण संख्या 116 ता. 05.05.2006 के जरिये उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो गई, इन्हे इसलिए पक्षकार बनाया गया है ताकि वह यह उजर नही ले सके कि उनको सुना नहीं गया। राजस्व वाद इस्तकरार व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सहायक जिलाधीश परबतसर के न्यायालय के वाद संख्या 305/76 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दिनॉक 09.12.1976 की एक–तरफा निर्णय के विरूद्व प्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारीी नागौर ने अपील संख्या 153/2006 अपीलार्थी निरंजन वगैरह बनाम तहसीलदार नावां व अन्य प्रस्तुत की जिसे बाद सुनवाई अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने दिनॉक 14.03.2007 को प्रार्थी अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनॉक 09.12.1976 को निरस्त कर इस आशय की निर्णय डिक्री जारी कर दी है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनॉक 09.12.2007 के विरूद्व द्वितीय अपील अप्रार्थी वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष नागौर/अपील डिक्री/1976/2007 प्रभूराम बनाम निरंजन वगैरह प्रस्तुत की गई जो दिनॉक 11.02.2013 को अपीलार्थीगण द्वारा चलाये नही जाने के कारण खारिज हो चुकी है। राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की छाया प्रति संलग्न प्रस्तत की गई है। सहायक जिलाधीश परबतसर के न्यायालय में वाद संख्या 305/76 में दिनॉक 09.12.76 को पारित गलत निर्णय के आधार पर रूपपुरा के साबित खसरा नम्बर 116 हाल आराजी खसरा नम्बर 306, 607, 311 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भूम के अधिकार अभिलेख में सम्वत 2040 के बाद में अप्रार्थी वादीगण द्वारा करवाये गये परिवर्तन अपील वाद की निरन्तरता होने के कारण लेस पेन्डिस के सिद्वान्त के आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री एवं न्यायालय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश के अधीन वाद संख्या 305/76 अन्तिम रूप से अपास्त हो जाने के आधार पर स्वतः शून्य बलहीन प्रभावहीन होने के कारण निरस्त हो चुके है इस परिप्रेक्ष्य में धारा 144 सी.पी.सी. के सम्बन्ध में विधि का ीाी यह सिद्वान्त है कि The appellant is entitled to restitution not with standing anything which happened subsequently as the right to claim .... उक्त आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री के अपास्त हो जाने के बाद माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रत्यास्थापन्ना की डिक्री जारी करने का यह उचित मामला है। सहायक जिलाधीश परबतसर के न्यायालय के अधिकार वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी कुचामन के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अधीन होने के कारण वाद संख्या 305/76 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील डिक्री संख्या 1976/2007 दिनॉक 11.02.2013 को अन्तिम रूप से खारिज होने के दिन से 12 वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम रूपपुरा टोरडा के साबिक खसरा नम्बर 116 हाल आराजी खसरा नम्बर 306, 307, 311 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा के अधिकार अभिलेख जमाबंदी इत्यादि में सहायक जिलाधीश परबतसर के न्यायालय के वाद संख्या 305/76 को पारित निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल कर उक्त आराजी में पुनः प्रार्थी प्रतिवादी बंशीलाल पुत्र जयदेव कौम दमामी सा. देह एवं उनके जीवित वारिसान के नाम [illegible] का अंकन कर प्रार्थी वारिसान को उक्त आराजी का कब्जा सुपुर्द कराने की प्रत्यास्थापन्ना की डिक्री जारी फरमावें, प्रतिवादी बंशीलाल एवं उसके वारिस पुत्र प्रार्थी [illegible]क बल में सैन्य सेंवाओ के दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:14:25 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गलत डिक्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टि कर कब्जा मे दखलकर अनुसूचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि के संबंध में स्वर्ण जाति के द्वारा किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण बाधाए अतिक्रमण से प्रार्थी प्रतिवादी एवं उसके परिवारजन रिश्तेदार मित्र उत्तराधिकारी हितग्राहियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराये, गलत डिक्री की तारीख से प्रत्यास्थापना के आदेश ककी पालना की तारीख तक का हर्जाना स्वरूप रूपये 5000/– प्रतिबीघा की दर से प्रार्थी प्रतिवादी का अप्रार्थी वादीगण से अदा करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 3, 9, 13 द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी सं. 20 से 23 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत किया गया, चूँकि वर्तमान जमाबंदी अनुसार ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 306, 307, 311 मे खातेदार दर्ज चले आ रहे है, जो आवश्यक पक्षकार होने पर बाद सुनवाई पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 8 की सवार रिपोर्ट अनुसार फौत होना बताया जिसके कायम मुकाम पहले से ही रेकार्ड पर है, अप्रार्थी संख्या 10 रिपोर्ट सवार अनुसार फौत हो चुका है, अप्रार्थी संख्या 10, 11/1, 11/2, 12 आवश्यक पक्षकार नही है, चूँकि उनके द्वारा भूमि का काफी समय पूर्व ही अन्तरण किया जा चुका है।

दस्तावेजी साक्ष्य में दोनो पक्षो द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित दस्तावेजात एवं न्यायालय जिलाधीश परबतसर के निर्णय वाद पत्र की प्रति, उपखण्ड अधिकारी नावां के निर्णय की प्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के निर्णय की प्रति, माननीय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय की प्रति, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की प्रति, जमाबंदी नकले इत्यादि प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान को सुना गया। हस्तगत प्रकरण के सम्पूर्ण अभिलेखीय विवेचन एवं अवलोकन तथा अध्ययन उपरान्त संक्षेप में तथ्य इस प्रकार दृष्टिगोचर हुये है कि प्रकरण विचाराधीन के दौरान ही पक्षकार प्रतिवादी 20 से 23 ने पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया, चूँकि प्रार्थी उक्त वादाधीन भूमि के सदभावी क्रेता है इनको सुनवाई किये जाने के विधिनुकूल प्रावधान है अतः इनको पक्षकार संयोजित किया गया है, तदनुसार अभिलेखीय स्थिति अनुसार उभय पक्षय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य अनुसार विधि अनुकूल निर्णय पारित किया जा रहा है।

1. नामान्तरकरण संख्या 66/10.12.70 के द्वारा सायर बेवा भागीरथ ढ़ोली के स्थान पर विरासतन के जरिये बंशीलाल पुत्र जयदेव दमामी खसरा नम्बर 116 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा दर्ज किया गया है।
2. माननीय न्यायालय ए.सी.एम. परबतसर के [illegible] सं. 305/76 निर्णय दिनॉक 09.12.1976 की पालना में तहसीलदार [illegible] के आदेश क्रमांक 2091/ दिनॉक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

24.11.1979 की पालना में नामा. सं. 165 दिनॉक 03.05.1980 के द्वारा उक्त प्रार्थी बंशीलाल पुत्र जयदेव दमामी के स्थान पर मांगूराम पुत्र हुक्माराम जाट 1/6, छिगनाराम पुत्र शिवबक्ष जाट 1/6, चन्द्राराम पुत्र गंगाराम गुर्जर 1/3, जसाराम पुत्र बींजाराम गुर्जर 1/3 दर्ज किया गया।

3. उक्त खातेदारो के विरासतन/अन्तरण के दौरान आदिनॉक अधिकार अभिलेख में प्रविष्टियॉ दर्ज होती रही।
4. नामा. सं. 66 दिनॉक 10.12.1970 (विरासतन) एवं नामान्तरकरण सं. 165 दिनॉक 03.05.1980 जो कि न्यायालय ए.सी.एम. परबतसर के आदेश से दर्ज किया गया था के विरूद्व एक अपील सायर बेवा भागीरथ की पुत्रियों सरजूदेवी व बरजीदेवी के वारिसान द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां में अपील सं. 4/12 प्रकाशचन्द व अन्य बकनाम सरपंच ग्राम पंचायत रूपपुरा प्रस्तुत की गई, जिसके निर्णय दिनॉक 10.05.13 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामा. सं. 65 व 165 के द्वारा पारित आदेश को रिमाण्ड कर आवश्यक पक्षकारों की सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरणो के विधिवत निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।
5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के उक्त निर्णय दिनॉक 10.05.2013 के विरूद्व एक अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील संख्या 38/2013 निरंजन बनाम प्रकाशचन्द व अन्य दर्ज होकर निर्णय दिनॉक 11.7.2022 के द्वारा अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी नावां का आदेश दिनॉक 10.05.2013 यथावत रख दिया गया ।
6. उक्त निर्णय दिनॉक 11.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट निरंजन पुत्र बंशीलाल पंवार जाति ढ़ोली की ओर से एक निगरानी संख्या 4653/2022 निरंजन बनाम किशोर व अन्य माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में प्रस्तुत की गई जो अभी विचाराधीन है एवं विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित है।
7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के उक्त निर्णय दिनॉक 10.05.13 के विरूद्व ही एक अन्य अपील सं. 26/2013 नारायणलाल बनाम प्रकाशचन्द व अन्य माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा निर्णय दिनॉक 25.04.18 के द्वारा रेस्पोडेन्टगण जो कि सायर जो मूल खातेदार अभिलिखित रहे, भागीरथ की पत्नि थी के वारिसान द्वारा उक्त अपील में राजीनामा प्रस्तुत किया कि " न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के वाद संख्या 305/76 में पारित निर्णय व डिक्री की अनुपालना में नामा. सं. 165 दिनॉक 3.5.1980 स्वीकार किया गया है वह विधि अनुसार है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है इसके साथ ही इस आ[illegible] उल्लेख किया गया कि " बंशीलाल पुत्र जयदेव दमामी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के समक्ष वाद सं. 297/1995 बंशीलाल बनाम मु. [illegible] जाट व अन्य अन्तर्गत धारा 88,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

89 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया था जो दिनॉक 13.04.1999 को खारिज हो चुका है तथा उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है।" इस प्रकार उक्त अपील के निर्णय अनुसार अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नावां की अपील संख्या 4/12 निर्णय दिनॉक 10.05.13 से पूर्व के इन्द्राजात को बहाल रख दिया गया था।

8. इसी क्रम में एक अपील अपीलांट निरंजन पुत्र बंशीलाल ढ़ोली ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष निरंजन व अन्य बनाम तहसीलदार नावां व अन्य अपील संख्या 153/2006 प्रस्तुत की जिसके निर्णय दिनॉक 14.03.2007 के द्वारा सहायक जिलाधीश परबतसर द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनॉक 09.12.76 को निरस्त कर दिया गया।

9. यह प्रत्यास्थापना प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के आदेश दिनॉक 14.03.2007 की पालना हेतु प्रस्तुत हुआ है।

10. प्रकरण के संम्पूर्ण अध्ययन एवं विवेचन से अभिलेखीय स्थिति स्पष्ट परिलक्षित है कि नामा. सं. 165 दिनॉक 3.5.1980 जो कि न्यायालय ए.सी.एम. परबतसर के मु.नं. 305/76 दिनॉक 9.12.76 के द्वारा दर्ज किया गया था एवं नामा. सं. 66 दिनॉक 10.12.70 सायर बेवा भागीरथ ढ़ोली के स्थान पर बंशीलाल पुत्र जयदेव दमामी के नाम पर दर्ज हुआ है कि अपील विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत हुई है एवं प्रार्थी बंशीलाल द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 38/2013 निरजंन बनाम प्रकाशचन्द व अन्य दिनॉक 11.07.2022 को खारिज हो चुकी है, जिसके विरूद्व एक निगरानी संख्या 4653/2022 निरजंन बनाम किशोर व अन्य प्रार्थी निरंजन की ओर से प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। प्रार्थी को विभिन्न न्यायालयों में विचारण रहे एवं निर्णित हुये प्रकरणों का पूर्ण ज्ञान है। बंशीलाल पुत्र जयदेव द्वारा उपखण्ड अधिकारी नावां के समक्ष वाद संख्या 297/95 बंशीलाल बनाम अलदी बेवा मंगाराम जाट व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 89 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जो 13.04.1999 को खारिज हो चुका तथा उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका। प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 4653/2022 निरंजन बनाम किशोर व अन्य राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है एवं राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित है।

11. चूँकि इस प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण नही हुआ है, जो धारा 144 सी.पी.सी. की परिधी में नही आता है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना–पत्र विधिनुकूल संधारणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 25/10/2023 को सुनाय गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:14:25 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)